

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव  
सचिव/सचिव (प्रभारी),  
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

विषय : राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत पद आधारित रोस्टर नीति का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु लागू रोस्टर नीति संबंधी समस्त नियमों एवं शासनादेशों को अधिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन के संबंध में परिशिष्ट-1 (उर्ध्व आरक्षण) एवं परिशिष्ट-2 (क्षैतिज आरक्षण) के अनुसार रोस्टर निर्धारित करते हुए राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से चयन हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

1. राज्याधीन सेवा संवर्गों के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट-1 के अनुसार 01 जुलाई, 2019 की प्रास्थिति में सीधी भर्ती के पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को रोस्टर क्रमांक के सम्मुख प्रतिस्थापित करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
2. संवर्गीय रोस्टर गठित होने के पश्चात् परिशिष्ट-2 के अनुसार पृथक-पृथक अनारक्षित/आरक्षित श्रेणियों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना करते हुए रोस्टर पंजिका तैयार की जायेगी।
3. नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व होगा कि प्रत्येक माह घटित होने वाली रिक्ति का कारण दर्शाते हुए रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसका दायित्व होगा कि प्रत्येक माह की पहली तिथि को रोस्टर पंजिका को अद्यतन किया जाय एवं इसकी सूचना संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी। यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना प्रेषित नहीं करायी जाती है तो नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।
4. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शुद्ध एवं परिणामी रिक्तियों की गणना करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु अधिवाचन संबंधित आयोग को समयांतर्गत प्रेषित की जाने की

*na hup*

कार्यवाही की जायेगी। वर्तमान रोस्टर नीति के अनुसार सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं समान अवसर के दृष्टिगत रिक्ति को रोटेट करते हुए अगले रोस्टर क्रमांक को भरे जाने की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

5. क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जिन श्रेणियों में चयन हेतु उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो ऐसे चयनों में उसी वर्ग के सामान्य श्रेणी से चयन की कार्यवाही करा ली जायेगी किन्तु उक्त रोस्टर क्रमांक रिक्त रखा जायेगा और अगले चयन वर्ष में पुनः प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
6. दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण उन्हीं सेवा संवर्गों में अनुमन्य होगा, जो समाजकल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-196/xvii-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा विभागों एवं संवर्गों हेतु निर्धारित किया गया है। दिव्यांगजन के चयन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-232 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाय।
7. भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सन्दर्भ में भारत सरकार के O.M. No. 36034/27/84-Estt.(SCT) dated 02.05.1985, it was decided that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी।
8. राज्याधीन सेवाओं में परिशिष्ट-1 एवं 2 के अनुसार पद आधारित रोस्टर निर्गत होने के उपरांत आरक्षण की गणना हेतु फ्रैक्शन संबंधी शासनादेश संख्या-145, दिनांक 28 मई, 2018 को अधिकमित समझा जाय।
9. सीधी भर्ती के किसी चयन में सेवा संवर्ग के अंतर्गत यदि आरक्षित रिक्तियों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे चयन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) की धारा 3 (4) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उक्तानुसार दिशा-निर्देशों का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(राधा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 276 (1)/XXX(2)/2019-53(01)2001 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों/प्राधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त से कृपया अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समस्त राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन तथा सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित व प्रशासित शैक्षिक संस्थाओं को छोड़कर) इनमें किसी उत्तराखण्ड प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित समस्त विद्यालय भी सम्मिलित हैं, की सेवाओं और पदों में उपरोक्त रोस्टर को लागू करने के अनुरोध सहित।
3. सचिव, नगर विकास/सचिव, आवास विभाग/सचिव, पंचायती राज विभाग को उनके अधीनस्थ सभी सम्बन्धित संस्थाओं आदि में उपरोक्त रोस्टर लागू कराने के अनुरोध सहित।
4. राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक, संबंधित संस्थान/निगम उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद्/नगर महापालिका/नगरपालिका, टाउन एरिया, उत्तराखण्ड।
9. निबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
10. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
12. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
14. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
15. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड शासन।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(महावीर सिंह)  
उप सचिव।

शासनादेश संख्या: 76 /XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 सितम्बर 2019 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति 19%, अन्य पिछड़ा वर्ग 14%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% तथा अनुसूचित जनजाति 4% निर्धारित ऊर्ध्व आरक्षण के सापेक्ष रोस्टर आधारित पदों की गणना।

पद	पद की श्रेणी	अनुसूचित जाति 19%	अन्य पिछड़ा वर्ग 14%	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10%	अनुसूचित जनजाति 4%
1	अनारक्षित	0.19	0.14	0.10	0.04
2	अनारक्षित	0.38	0.28	0.20	0.08
3	अनारक्षित	0.57	0.42	0.30	0.12
4	अनारक्षित	0.76	0.56	0.40	0.16
5	अनारक्षित	0.95	0.70	0.50	0.20
6	अनुसूचित जाति	1.14	0.84	0.60	0.24
7	अनारक्षित	1.33	0.98	0.70	0.28
8	अन्य पिछड़ा वर्ग	1.52	1.12	0.80	0.32
9	अनारक्षित	1.71	1.26	0.90	0.36
10	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1.90	1.40	1.00	0.40
11	अनुसूचित जाति	2.09	1.54	1.10	0.44
12	अनारक्षित	2.28	1.68	1.20	0.48
13	अनारक्षित	2.47	1.82	1.30	0.52
14	अनारक्षित	2.66	1.96	1.40	0.56
15	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.85	2.10	1.50	0.60
16	अनुसूचित जाति	3.04	2.24	1.60	0.64
17	अनारक्षित	3.23	2.38	1.70	0.68
18	अनारक्षित	3.42	2.52	1.80	0.72
19	अनारक्षित	3.61	2.66	1.90	0.76
20	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	3.80	2.80	2.00	0.80
21	अनुसूचित जाति	3.99	2.94	2.10	0.84
22	अन्य पिछड़ा वर्ग	4.18	3.08	2.20	0.88
23	अनारक्षित	4.37	3.22	2.30	0.92
24	अनारक्षित	4.56	3.36	2.40	0.96
25	अनुसूचित जनजाति	4.75	3.50	2.50	1.00
26	अनारक्षित	4.94	3.64	2.60	1.04
27	अनुसूचित जाति	5.13	3.78	2.70	1.08
28	अनारक्षित	5.32	3.92	2.80	1.12
29	अन्य पिछड़ा वर्ग	5.51	4.06	2.90	1.16
30	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	5.70	4.20	3.00	1.20
31	अनारक्षित	5.89	4.34	3.10	1.24
32	अनुसूचित जाति	6.08	4.48	3.20	1.28
33	अनारक्षित	6.27	4.62	3.30	1.32
34	अनारक्षित	6.46	4.76	3.40	1.36

man. 1/1

35	अनारक्षित	6.65	4.90	3.50	1.40
36	अन्य पिछड़ा वर्ग	6.84	5.04	3.60	1.44
37	अनुसूचित जाति	7.03	5.18	3.70	1.48
38	अनारक्षित	7.22	5.32	3.80	1.52
39	अनारक्षित	7.41	5.46	3.90	1.56
40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	7.60	5.60	4.00	1.60
41	अनारक्षित	7.79	5.74	4.10	1.64
42	अनुसूचित जाति	7.98	5.88	4.20	1.68
43	अन्य पिछड़ा वर्ग	8.17	6.02	4.30	1.72
44	अनारक्षित	8.36	6.16	4.40	1.76
45	अनारक्षित	8.55	6.30	4.50	1.80
46	अनारक्षित	8.74	6.44	4.60	1.84
47	अनारक्षित	8.93	6.58	4.70	1.88
48	अनुसूचित जाति	9.12	6.72	4.80	1.92
49	अनुसूचित जन जाति	9.31	6.86	4.90	1.96
50	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	9.50	7.00	5.00	2.00
51	अन्य पिछड़ा वर्ग	9.69	7.14	5.10	2.04
52	अनारक्षित	9.88	7.28	5.20	2.08
53	अनुसूचित जाति	10.07	7.42	5.30	2.12
54	अनारक्षित	10.26	7.56	5.40	2.16
55	अनारक्षित	10.45	7.70	5.50	2.20
56	अनारक्षित	10.64	7.84	5.60	2.24
57	अन्य पिछड़ा वर्ग	10.83	7.98	5.70	2.28
58	अनुसूचित जाति	11.02	8.12	5.80	2.32
59	अनारक्षित	11.21	8.26	5.90	2.36
60	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	11.40	8.40	6.00	2.40
61	अनारक्षित	11.59	8.54	6.10	2.44
62	अनारक्षित	11.78	8.68	6.20	2.48
63	अनुसूचित जाति	11.97	8.82	6.30	2.52
64	अनारक्षित	12.16	8.96	6.40	2.56
65	अन्य पिछड़ा वर्ग	12.35	9.10	6.50	2.60
66	अनारक्षित	12.54	9.24	6.60	2.64
67	अनारक्षित	12.73	9.38	6.70	2.68
68	अनारक्षित	12.92	9.52	6.80	2.72
69	अनुसूचित जाति	13.11	9.66	6.90	2.76
70	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	13.30	9.80	7.00	2.80
71	अनारक्षित	13.49	9.94	7.10	2.84
72	अन्य पिछड़ा वर्ग	13.68	10.08	7.20	2.88
73	अनारक्षित	13.87	10.22	7.30	2.92
74	अनुसूचित जाति	14.06	10.36	7.40	2.96
75	अनुसूचित जनजाति	14.25	10.50	7.50	3.00
76	अनारक्षित	14.44	10.64	7.60	3.04
77	अनारक्षित	14.63	10.78	7.70	3.08
78	अन्य पिछड़ा वर्ग	14.82	10.92	7.80	3.12

nat. 1/1

79	अनुसूचित जाति	15.01	11.06	7.90	3.16
80	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15.20	11.20	8.00	3.20
81	अनारक्षित	15.39	11.34	8.10	3.24
82	अनारक्षित	15.58	11.48	8.20	3.28
83	अनारक्षित	15.77	11.62	8.30	3.32
84	अनारक्षित	15.96	11.76	8.40	3.36
85	अनुसूचित जाति	16.15	11.90	8.50	3.40
86	अन्य पिछड़ा वर्ग	16.34	12.04	8.60	3.44
87	अनारक्षित	16.53	12.18	8.70	3.48
88	अनारक्षित	16.72	12.32	8.80	3.52
89	अनुसूचित जाति	16.91	12.46	8.90	3.56
90	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17.10	12.60	9.00	3.60
91	अनारक्षित	17.29	12.74	9.10	3.64
92	अनारक्षित	17.48	12.88	9.20	3.68
93	अन्य पिछड़ा वर्ग	17.67	13.02	9.30	3.72
94	अनारक्षित	17.86	13.16	9.40	3.76
95	अनुसूचित जाति	18.05	13.30	9.50	3.80
96	अनारक्षित	18.24	13.44	9.60	3.84
97	अनुसूचित जनजाति	18.43	13.58	9.70	3.88
98	अन्य पिछड़ा वर्ग	18.62	13.72	9.80	3.92
99	अनुसूचित जाति	18.81	13.86	9.90	3.96
100	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	19.00	14.00	10.00	4.00

(राधा रतूड़ी)  
अपर मुख्य सचिव।

शितम्बर

परिशिष्ट-2

शासनादेश संख्या: 276/XXX(2)/2019-53(01)2001 दिनांक 11 जून, 2019 का संलग्नक।

राज्याधीन सेवाओं में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु परिशिष्ट-1 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी हेतु आगणित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण की गणना।

पद	पद की श्रेणी	उत्तराखण्ड महिला 30%	भूतपूर्व सैनिक 5%	दिव्यांगजन 4%	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%
1	अनारक्षित	0.30	0.05	0.04	0.02
2	अनारक्षित	0.60	0.10	0.08	0.04
3	अनारक्षित	0.90	0.15	0.12	0.06
4	उत्तराखण्ड महिला	1.20	0.20	0.16	0.08
5	अनारक्षित	1.50	0.25	0.20	0.10
6	अनारक्षित	1.80	0.30	0.24	0.12
7	उत्तराखण्ड महिला	2.10	0.35	0.28	0.14
8	अनारक्षित	2.40	0.40	0.32	0.16
9	अनारक्षित	2.70	0.45	0.36	0.18
10	उत्तराखण्ड महिला	3.00	0.50	0.40	0.20
11	अनारक्षित	3.30	0.55	0.44	0.22
12	अनारक्षित	3.60	0.60	0.48	0.24
13	अनारक्षित	3.90	0.65	0.52	0.26
14	उत्तराखण्ड महिला	4.20	0.70	0.56	0.28
15	अनारक्षित	4.50	0.75	0.60	0.30
16	अनारक्षित	4.80	0.80	0.64	0.32
17	उत्तराखण्ड महिला	5.10	0.85	0.68	0.34
18	अनारक्षित	5.40	0.90	0.72	0.36
19	अनारक्षित	5.70	0.95	0.76	0.38
20	उत्तराखण्ड महिला	6.00	1.00	0.80	0.40
21	भूतपूर्व सैनिक	6.30	1.05	0.84	0.42
22	अनारक्षित	6.60	1.10	0.88	0.44
23	अनारक्षित	6.90	1.15	0.92	0.46
24	उत्तराखण्ड महिला	7.20	1.20	0.96	0.48
25	दिव्यांगजन	7.50	1.25	1.00	0.50
26	अनारक्षित	7.80	1.30	1.04	0.52
27	उत्तराखण्ड महिला	8.10	1.35	1.08	0.54
28	अनारक्षित	8.40	1.40	1.12	0.56
29	अनारक्षित	8.70	1.45	1.16	0.58
30	उत्तराखण्ड महिला	9.00	1.50	1.20	0.60
31	अनारक्षित	9.30	1.55	1.24	0.62
32	अनारक्षित	9.60	1.60	1.28	0.64
33	अनारक्षित	9.90	1.65	1.32	0.66
34	उत्तराखण्ड महिला	10.20	1.70	1.36	0.68


naresh

35	अनारक्षित	10.50	1.75	1.40	0.70
36	अनारक्षित	10.80	1.80	1.44	0.72
37	उत्तराखण्ड महिला	11.10	1.85	1.48	0.74
38	अनारक्षित	11.40	1.90	1.52	0.76
39	भूतपूर्व सैनिक	11.70	1.95	1.56	0.78
40	उत्तराखण्ड महिला	12.00	2.00	1.60	0.80
41	अनारक्षित	12.30	2.05	1.64	0.82
42	अनारक्षित	12.60	2.10	1.68	0.84
43	अनारक्षित	12.90	2.15	1.72	0.86
44	उत्तराखण्ड महिला	13.20	2.20	1.76	0.88
45	अनारक्षित	13.50	2.25	1.80	0.90
46	अनारक्षित	13.80	2.30	1.84	0.92
47	उत्तराखण्ड महिला	14.10	2.35	1.88	0.94
48	अनारक्षित	14.40	2.40	1.92	0.96
49	दिव्यांगजन	14.70	2.45	1.96	0.98
50	उत्तराखण्ड महिला	15.00	2.50	2.00	1.00
51	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	15.30	2.55	2.04	1.02
52	अनारक्षित	15.60	2.60	2.08	1.04
53	अनारक्षित	15.90	2.65	2.12	1.06
54	उत्तराखण्ड महिला	16.20	2.70	2.16	1.08
55	अनारक्षित	16.50	2.75	2.20	1.10
56	अनारक्षित	16.80	2.80	2.24	1.12
57	उत्तराखण्ड महिला	17.10	2.85	2.28	1.14
58	अनारक्षित	17.40	2.90	2.32	1.16
59	अनारक्षित	17.70	2.95	2.36	1.18
60	उत्तराखण्ड महिला	18.00	3.00	2.40	1.20
61	भूतपूर्व सैनिक	18.30	3.05	2.44	1.22
62	अनारक्षित	18.60	3.10	2.48	1.24
63	अनारक्षित	18.90	3.15	2.52	1.26
64	उत्तराखण्ड महिला	19.20	3.20	2.56	1.28
65	अनारक्षित	19.50	3.25	2.60	1.30
66	अनारक्षित	19.80	3.30	2.64	1.32
67	उत्तराखण्ड महिला	20.10	3.35	2.68	1.34
68	अनारक्षित	20.40	3.40	2.72	1.36
69	अनारक्षित	20.70	3.45	2.76	1.38
70	उत्तराखण्ड महिला	21.00	3.50	2.80	1.40
71	अनारक्षित	21.30	3.55	2.84	1.42
72	अनारक्षित	21.60	3.60	2.88	1.44
73	अनारक्षित	21.90	3.65	2.92	1.46
74	उत्तराखण्ड महिला	22.20	3.70	2.96	1.48
75	दिव्यांगजन	22.50	3.75	3.00	1.50
76	अनारक्षित	22.80	3.80	3.04	1.52
77	उत्तराखण्ड महिला	23.10	3.85	3.08	1.54
78	अनारक्षित	23.40	3.90	3.12	1.56

*nat. Suk*



79	भूतपूर्व सैनिक	23.70	3.95	3.16	1.58
80	उत्तराखण्ड महिला	24.00	4.00	3.20	1.60
81	अनारक्षित	24.30	4.05	3.24	1.62
82	अनारक्षित	24.60	4.10	3.28	1.64
83	अनारक्षित	24.90	4.15	3.32	1.66
84	उत्तराखण्ड महिला	25.20	4.20	3.36	1.68
85	अनारक्षित	25.50	4.25	3.40	1.70
86	अनारक्षित	25.80	4.30	3.44	1.72
87	उत्तराखण्ड महिला	26.10	4.35	3.48	1.74
88	अनारक्षित	26.40	4.40	3.52	1.76
89	अनारक्षित	26.70	4.45	3.56	1.78
90	उत्तराखण्ड महिला	27.00	4.50	3.60	1.80
91	अनारक्षित	27.30	4.55	3.64	1.82
92	अनारक्षित	27.60	4.60	3.68	1.84
93	अनारक्षित	27.90	4.65	3.72	1.86
94	उत्तराखण्ड महिला	28.20	4.70	3.76	1.88
95	अनारक्षित	28.50	4.75	3.80	1.90
96	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	28.80	4.80	3.84	1.92
97	उत्तराखण्ड महिला	29.10	4.85	3.88	1.94
98	दिव्यांगजन	29.40	4.90	3.92	1.96
99	भूतपूर्व सैनिक	29.70	4.95	3.96	1.98
100	उत्तराखण्ड महिला	30.00	5.00	4.00	2.00

  
 (राधा रतूड़ी)  
 अपर मुख्य सचिव।